



"EPCH HOUSE" POCKET 6 & 7, SECTOR - C, L.S.C., VASANT KUNJ, NEW DELHI-110 070

Tel.: +91-11-26135256 / 57 / 58

Fax: +91-11-26135518 / 19

E-mail: mails@epch.com

Web : www.epch.in

PRESS RELEASE

Wooden handicrafts grows despite restriction on Sheesham EPCH represents delisting of Sheesham wood from CITES

New Delhi – 30th October, 2018 - *Dalbergia* Spp. has been enlisted in the Appendix-II of the CITES in 2016 resulting in the issuance of CITES permit by Wild Life Crime Control Bureau [WCCB] or comparable document in lieu of CITES permit i.e. Vriksh Shipment Certificate by EPCH for exports of wooden handicrafts items made from *Dalbergia sissoo* & *Dalbergia latifolia*. The issuance of certificates include establishing of the chain of custody and legality of the procured wood by the exporters.

Shri Rakesh Kumar, Executive Director EPCH said, that the Council on its part has been regularly taking up the issue of delisting of *Dalbergia sissoo* and *Dalbergia latifolia* from Appendix II of the CITES so that the requirement of issuance of CITES permit or comparable document can be done away with. The 18th meeting of Conference of Parties (CoP) of CITES is scheduled to be held in Sri Lanka in 2019 and in order for the Sheesham wood to be delisted from Appendix-II of CITES, a proposal is required to be forwarded by Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) before 24th December 2018 to CITES. As per our internal assessment, Sheesham is not an endangered species, however, the final report of non-detrimental finding is yet to be released by MoEFCC.

Elaborating further, Shri Kumar, said, a High Level Meeting held on 29th October, 2018 under the Chairmanship of the Additional Director General of Forests and CITES Management Authority, India was attended by EPCH and other stakeholders including WCCB, Botanical Survey of India, Ministry of Agriculture and others. The meeting was convened to discuss the findings of Non-Detrimental Finding Study [NDF] submitted by Botanical Survey of India. The MoEFCC has decided that on the basis of the findings of NDF study, a proposal will be submitted to CITES for delisting of *Dalbergia sissoo* from Appendix II of CITES.

Shri O P Prahladka, Chairman EPCH said, "VRIKSH has paved way for wooden handicrafts to become compliant with international trade regulations and helped the exporters in expediting exports in a time bound manner. He further said, placing of Sheesham and Rose Wood in Appendix II almost jeopardized the exports of wooden handicrafts from the country, however, EPCH with its proactive strategy has been able to ensure that the exports of wooden products of these two species are being made without any hindrance."

The exports of wooden handicrafts have registered a growth of 8.97% during the year 2017-18 with Rs. 4267.37 crores, however, during the first six months of 2018-19 [April – Sept.] exports of wooden handicrafts have registered a growth of 33.47% and stands at Rs. 2619 crores. It has been observed that there has been a shift in wood species from Sheesham to other compatible species like acacia and mango by artisans and exporters for production of wooden handicrafts thereby registering the exports growth in woodware segment.

For more information, please contact :

Shri Rakesh Kumar- ED – EPCH - +91-9818272171

**"EPCH HOUSE" POCKET 6 & 7, SECTOR - C, L.S.C., VASANT KUNJ, NEW DELHI-110 070**

Tel.: +91-11-26135256 / 57 / 58

Fax: +91-11-26135518 / 19

E-mail: mails@epch.com

Web : www.epch.in

शीशम पर प्रतिबंधों के बावजूद काष्ठ शिल्प के निर्यात में बढ़ोतरी साइट्स की सूची से शीशम को हटाने के लिए ईपीसीएच प्रयासरत

नई दिल्ली- 30 अक्टूबर, 2018 - साल 2016 में डलबर्जिया स्पीशीज़ को साइट्स (सीआईटीईएस) के अपेंडिक्स -II में डाल दिया था. इसकी वजह से डलबर्जिया सिसो व डलबर्जिया लैटिफोलिया से बने उत्पादों के निर्यात के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) से साइट्स परमिट या इसके समकक्ष प्रमाणपत्र, जैसे ईपीसीएच से वृक्ष शिपमेंट सर्टिफिकेट, लेना आवश्यक हो गया. साथ ही सर्टिफिकेट जारी करते वक्त निर्यातकों द्वारा खरीदी गई लकड़ी की वैधता सुनिश्चित करना भी जरूरी हो गया.

इस बारे में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के कार्यकारी निदेशक श्री राकेश कुमार का कहना है कि डलबर्जिया सिसो और डलबर्जिया लैटिफोलिया को साइट्स के परमिट -II से बाहर करने के लिए परिषद ने समय-समय पर प्रयास किए हैं ताकि इनके उत्पादों के निर्यात में साइट्स अनुमति या समकक्ष प्रमाणपत्र लेने की अनिवार्यता से बचा जा सके. उन्होंने बताया कि मई 2019 में श्रीलंका में साइट्स के कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज (CoP) की बैठक होने वाली है और शीशम को साइट्स के परमिट -II से हटाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 24 दिसंबर 2018 के पहले साइट्स को इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजने की जरूरत है. हमारे आंतरिक आंकलन के मुताबिक शीशम खतरे में पड़ी प्रजाति नहीं है, हालांकि इस मामले में पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा नॉन-डिट्रिमेंटल फाइंडिंग रिपोर्ट [एनडीएफ] अभी जारी करना बाकी है.

श्री कुमार ने आगे बताया कि 29 अक्टूबर को फॉरेस्ट एवं साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया के अतिरिक्त महानिदेशक (Additional DG) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. इस बैठक में ईपीसीएच और डब्ल्यूसीसीबी, बाॅटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कृषि मंत्रालय जैसे अन्य स्टेकहोल्डर भी मौजूद रहे. इस बैठक में बाॅटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार नॉन-डिट्रिमेंटल फाइंडिंग स्टडी (एनडीएफ) पर चर्चा की गई. इस स्टडी के आधार पर पर्यावरण व वन मंत्रालय ने डलबर्जिया सिसो को साइट्स के -परमिट II से हटाने के बारे में एक प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया है.

ईपीसीएच के चेयरमैन श्री ओ पी प्रहलादका ने कहा है कि वृक्ष कार्यक्रम ने भारतीय काष्ठ उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के मुताबिक बनाया है और समय पर निर्यात करने में इसने निर्यातकों की मदद भी की है. उन्होंने आगे कहा कि शीशम और रोज़वुड को परमिट -II में शामिल करने से इनके निर्यात में नुकसान हुआ है, हालांकि ईपीसीएच ने अपनी रणनीति के तहत यह सुनिश्चित किया है कि इन दोनों प्रजातियों से बने उत्पादों के निर्यात में कोई बाधा न उत्पन्न हो पाए.

साल 2017-18 के दौरान काष्ठ हस्तशिल्प के निर्यात में 8.97 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है जो कि 4267.37 करोड़ रुपए रहा. 2018-19 के पहले छह महीनों के दौरान इनके निर्यात में 33.47 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 2619 करोड़ रुपए का रहा. यह देखा गया है कि शिल्पकारों और निर्यातकों ने शीशम के स्थान पर दूसरी प्रजातियों जैसे Acacia व Mango तथा अन्य की तरजीह दी है ताकि काष्ठ शिल्प के निर्यात में बढ़ोतरी की जा सके.

अधिक जानकारी के कृपया संपर्क करें :

श्री राकेश कुमार- कार्यकारी निदेशक- ईपीसीएच- +91-9818272171